राज्य स्वास्थ्य संसाधन केन्द्र, छत्तीसगढ़

हवाई यात्रा टिकिट (Air Ticket) प्रदाय **करने के लिए संस्थाओं का नाभिकायन (empanelment)**

परिचय – राज्य स्वास्थ्य संसाधन केन्द्र छत्तीसगढ़ एक स्वायत्ताशासी संगठन है जो कि सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 (क्रमांक–44) के अधीन पंजीकृत है। राज्य में मितानिन कार्यक्रम के संचालन के साथ–साथ ये स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को तकनीकी सहायता प्रदान करती है।

वांछित सेवायें – राज्य स्वास्थ्य संसाधन केन्द्र के कर्मचारियों को कार्यालयीन कार्यों के लिए भ्रमण हेतु हवाई यात्रा की आवश्यकता होती है। इस संबंध में पंजीकृत एजेंटों से हवाई यात्रा के टिकिट (Air Ticket) आरक्षित किये जाने हेतु कोटेशन आमंत्रित है।

आवेदन प्रक्रिया – इच्छुक व्यक्ति / संस्थाएं अपने आवेदन दिये गये निर्धारित संलग्न प्रारुप मे भरकर रु. 500 (रूपये पांच सौ मात्र) निविदा शुल्क के साथ कार्यालय में नियत तिथि तक राशी डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से "STATE HEALTH RESOURCE CENTRE" Payable at Raipur के नाम पर देय होगी जो कि वापसी योग्य नहीं है।

चयन प्रक्रिया – सभी निविदाकर्ताओं द्वारा प्राप्त दरों एवं दी जाने वाली सुविधाओं के तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर न्यूनतम दर (L1) के निविदा का चयन किया जाएगा एवं अन्य निविदाकर्ताओं को (यदि इच्छुक हो तो) न्यूनतम दर के साथ मिलान करने का अवसर दिया जा सकता है। तत्पश्चात सभी निविदाकर्ताओं को उनके दर आधार पर सूचीबद्ध किया जाएगा तथा आवश्यकतानुसार प्रथम L1 निविदाकर्ता को प्राथमिकता देते हुए कार्यादेश दिया जाएगा।

नियम व शर्ते–

1. समस्त निविदा प्रति, कय समिति, राज्य स्वास्थ्य संसाधन केन्द्र, बुढापारा बिजली ऑफिस चौक कालीबाड़ी, रायपुर के पते पर सीलबंद लिफाफे में दिनांक **15.03.2024** तक कार्यालयीन समय संध्या 05.30 तक जमा किया जाना होगा एवं लिफाफे पर **''कोटेशन– हवाई टिकट हेतु''** लिखना आवश्यक होगा। तथा दिये जाने वाली सेवा/व्यवस्था का उल्लेख करें।
2. राज्य स्वास्थ्य संसाधन केन्द्र, रायपुर द्वारा दिये गये **कोटेशन प्रारुप** मे ही दर स्वीकार्य होगा।
3. प्रस्तावित दरें शासन द्वारा लागू सभी करों सहित होंगी ।
4. अनुबंध एक वर्ष तक होगा।
5. निविदाकर्ता की वैध जी.एस.टी. नम्बर, पैन नम्बर एवं बैक पासबुक की छायाप्रति संलग्न किया जाना होगा।
6. कार्य सम्पन्न होने पश्चात टिकट के साथ राज्य स्वास्थ्य संसाधन केन्द्र के नाम पर बिल प्रस्तुत किया जाना होगा।
7. बिलों का भुगतान फर्म के नाम पर चेक या ई–ट्रांसफर के माध्यम से किया जाएगा एवं नियमानुसार कर TDS एवं GST TDS की कटौती की जाएगी।
8. किसी भी निविदा को स्वीकार/अस्वीकार करने और निविदा को निरस्त करने का अधिकार राज्य स्वास्थ्य संसाधन केन्द्र के पास सुरक्षित रहेगा।
9. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में न्यायालयीन क्षेत्र रायपुर होगा।

वरिष्ठ समन्वयक (प्रशासनिक)
राज्य स्वास्थ्य संसाधन केन्द्र

हवाई यात्रा के टिकट (Air Ticket) बुकिंग के लिए एजेंट/फर्म के चयन हेतु आवेदन

प्रति,

क्रय समिति
राज्य स्वास्थ्य संसाधन केन्द्र
बिजली ऑफिस चौक के पास
कालीबाड़ी रायपुर (छ.ग.)

महोदय,

मैं आपकी संस्था के हवाई यात्रा के टिकिट (Ait Ticket) बुकिंग सेवा प्रदान करने का इच्छुक हूँ जिसके लिये निर्धारित शुल्क राशि .... डी.डी. क्रं. .... दिनांक .... के माध्यम से जमा कर रहा हूँ। आपके द्वारा दिये गये प्रपत्र को मैने ध्यान पूर्वक पढ़ा हैं एवं उनमें दी गई समस्त शर्तें मुझे मान्य है। उपरोक्त व्यवस्था हेतु मेरी समस्त कर सहित दर निम्नानुसार हैं।

S. No.	Details	Class	Commission (Per Passenger) with taxes Rs.	Remark
1	Domestic	Economy Class		
2	Domestic	Business Class		
3	International	Economy Class		
4	International	Business Class		

नोटः— टिकट निरस्त करने का शुल्क का उल्लेख करें। (यदि हो तो)

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर एवं संस्था की सील

प्रोपाइटर का नाम ....

पता..............................

....

मोबाइल नं..............................

संलग्न—

1. भुगतान हेतु बैंक खातें कि जानकारी (अनिवार्य)
2. संस्था का GST नम्बर (अनिवार्य)
3. संस्था के PAN कार्ड कि प्रति (अनिवार्य)

State Health Resource Centre Chhattisgarh